प्रेस नोट-

थाना बरूआसागर, झाँसी

दिनाँक 13.11.2025

- **थाना बरूआसागर पर आबकारी अधिनियम के 852 अभियोगों में बरामद करीब 31,717 लीटर अवैध शराब का किया गया विनष्टीकरण-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन के क्रम में आज दिनांक 13.11.2025 को थाना बरूआसागर पर आबकारी अधिनियम के कुल 852 अभियोगों में बरामद करीब 31,717 लीटर अवैध शराब का विनष्टीकरण किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

थाना बरूआसागर पर आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित दाखिल माल/अवैध शराब के विनिष्टीकरण की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि०), न्यायालय संख्या-01/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय झाँसी से पत्राचार करते हुए अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2001 से 2024 तक के आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 852 अभियोगों में लगभग 31,717 लीटर अवैध शराब को नष्ट करने हेतु आदेश प्रदान किया गया।

माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुये आज दिनाँक 13.11.2025 को थाना स्थानीय के मालखाना में दाखिल आबकारी अधिनियम के 852 अभियोगों से सम्बन्धित करीब 31,717 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार वीडियोग्राफी व पंचनामा करते हुये 1. श्री नसीम अख्तर नायव तहसीलदार बडागांव झाँसी 2. आबकारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव क्षेत्र-01 झाँसी 3. श्री राहुल राठौर थानाध्यक्ष थाना बरुआसागर झाँसी 4. हे0मु0 149 प्रेमनारायण सिंह थाना बरुआसागर झाँसी तथा 5. हे0मु0 531 शैलेन्द्र कुमार थाना बरुआसागर झाँसी की मौजूदगी में जमीन के अन्दर पर्याप्त गड्ढा खोदकर विनष्टीकरण किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान पर्यावरण का पूर्ण ध्यान रखा गया।

विनष्ट किये गये माल का विवरण- 852 अभियोग से सम्बन्धित लगभग 31,717 लीटर अवैध शराब

विनष्टीकरण कार्यवाही के दौरान उपस्थित टीम का विवरण-

1. श्री नसीम अख्तर नायव तहसीलदार बडागांव झाँसी
2. आबकारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव क्षेत्र -01 झाँसी
3. श्री राहुल राठौर थानाध्यक्ष थाना बरुआसागर झाँसी
4. हे0मु0 149 प्रेमनारायण सिंह थाना बरुआसागर झाँसी
5. हे0मु0 531 शैलेन्द्र कुमार थाना बरुआसागर झाँसी